कार्यालय,उप संचालक कृषि सह परियोजना प्रबंधक (WCDC)
जिला–जशपुर(छ.ग.)

क्रमांक / WDC-PMKSY 2.0 / कृषि / पदपूर्ति / 2023–24 / 904 जशपुर, दिनांक 13/06/23

/ / विज्ञापन / /

मुख्य कार्यपालन अधिकारी छ.ग. राज्य जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन एजेंसी CGSWMA इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर, लाभाण्ड़ी रायपुर का कार्यालयीन पत्र क्रमांक पत्र क्रमांक 735 / CGSWMA / 22 रायपुर दिनांक 18.10.2022 एवं पत्र क्रमांक 989 / CGSWMA / 22 रायपुर दिनांक 27.12.2022 द्वारा प्राप्त निर्देश के परिपालन में WDC-PMKSY 2.0 योजना के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृत **दो परियोजनाओं** में संविदा नियुक्ति की जानी है, जिस हेतु संविदा पदों के सम्मुख तालिका में दर्शाए गये रिक्त पदों पर **ऑनलाईन आवेदन** जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in के माध्यम से दिनाँक 26.06.2023 तक आमंत्रित किये जाते है–

क्र.	पद का नाम	परियोजना का नाम			
		PMKSY-WDC 2.0/1/PATHALGAON		**PMKSY-WDC 2.0/2BAGICHA**	
1	2	3	4	5	6
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी)	01	अनारक्षित	01	अनारक्षित
2	WDT सदस्य (आजीविका)	01	अनारक्षित	01	अनारक्षित
3	WDT सदस्य (समूह विकास)	01	अनारक्षित	01	अनारक्षित
4	लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (परियोजना स्तर)	01	अनारक्षित	01	अनारक्षित
	योग–	**04**		**04**	

न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता एवं चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण–

क्र.	पदनाम एवं वेतन	न्यूनतम एवं वांछनीय अर्हता	चयन हेतु मेरिट अंक का निर्धारण	अंक का विभाजन
1	2	3	4	5
1	WDT सदस्य (यांत्रिकी) 31450 / – एकमुश्त वेतन मैट्रिक्स लेवल–10	**न्यूनतम–** बी.टेक. (कृषि अभियांत्रिकी) / बी.ई. सिविल / दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिग्री अथवा डिप्लोमा रूरल टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट विषय में। **वांछनीय–** मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
2	WDT सदस्य (आजीविका) 27740 / – एकमुश्त वेतन मैट्रिक्स लेवल–08	**न्यूनतम–**बी.एस.सी. (कृषि / वानिकी / उद्यानिकी / मत्स्य) / BV&AHSc **वांछनीय–** मृदा एवं जल संरक्षण / वानिकी / शुष्कभूमि कृषि / उद्यानिकी / जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

3	WDT सदस्य (समूह विकास) 27740/- एकमुश्त वेतन मैट्रिक्स लेवल-08	**न्यूनतम**-एम.बी.ए. अथवा प्रबंधन में समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा/ग्रामीण प्रबंधन / विकास में स्नातकोत्तर अथवा समतुल्य स्नातकोत्तर डिप्लोमा / सामाजिक कार्य (MSW) / समाजशास्त्र में स्नातकोत्तर **वांछनीय**- मृदा एवं जल संरक्षण/वानिकी/ शुष्कभूमि कृषि/उद्यानिकी/जलग्रहण क्षेत्र प्रबंधन में अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15
4	लेखापाल सह डाटा एण्ट्री ऑपरेटर (परियोजना स्तर) 18420/- एकमुश्त वेतन मैट्रिक्स लेवल-06	**न्यूनतम**- हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर में डिप्लोमा अथवा डिग्री। सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ-9-4 / 2005/1/3,दिनांक 07 जून 2007 में उल्लेखित संस्थाओं द्वारा जारी प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा। **वांछनीय**-किसी भी संस्थान से टेली में न्यूनतम 06 माह का डिप्लोमा। किसी भी चार्टड एकाउंटेंट (C.A.) से आर्टिकलशीप का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता।	न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंक का Weightage देते हुए	70
			कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा पर	15
			शासकीय अथवा शासकीय उपक्रमों के अधीन समान वेतनमान पर कार्य अनुभव	15
			उक्त अनुभव के 15 अंक का विभाजन	
			न्यूनतम 3 वर्ष तक का अनुभव	5
			5 वर्ष तक का अनुभव	10
			5 वर्ष से अधिक का अनुभव	15

1. **नियम एवं शर्तें-**
   1. संविदा नियुक्ति छ.ग. शासन संविदा नियम 2012 में निहित शर्तों के अनुसार की जावेगी।
   2. **आयु सीमा**- आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी। आयु सीमा में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी छूट संबंधी आदेश/निर्देश नियुक्ति के लिये भी लागू होंगे।
   3. **नियुक्ति की अवधि**- संविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिये होगी। WCDC आवश्यकता के आधार पर एवं संविदा नियुक्त व्यक्ति की उपयुक्तता का गोपनीय प्रतिवेदन द्वारा आंकलन कर सेवा वृद्धि का निर्णय ले सकेगा। संविदा नियुक्ति की अवधि परियोजना समाप्ति पर संविदा नियुक्ति स्वयमेव समाप्त मानी जावेगी।
   4. **अवकाश की पात्रता**- संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों का आकस्मिक अवकाश तथा 03 दिनों का ऐच्छिक अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनों के लिये अनुपातिक आधार पर किया जावेगा। गणना में अपूर्ण दिवस को आगामी पूर्ण दिवस से पूर्णाकित किया जावेगा। विश्रामावकाश विभागों में कैलेण्डर वर्ष के तात्पर्य 12 माह की वास्तविक सेवा से लगाया जाएगा।
   5. **प्रसूति अवकाश**- शासन द्वारा संविदा नियुक्त अधिकारी / कर्मचारी के लिये निर्धारित प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी।
   6. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को अपने परिवार की सामाजिक सुरक्षा के लिए संविदा वेतन की कम से कम 10 प्रतिशत राशि जीवन बीमा पेंशन योजना अथवा पी.पी.एफ. में जमा करनी होगी तथा इस बात की सूचना नियुक्ति प्राधिकारी को देनी होगी की कर्मचारी द्वारा किस योजना का वरण किया गया है परन्तु यह प्रावधान सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों पर लागू नही होगी।
   7. **वेतन**- उपरोक्त संविदा सेवा में सिर्फ मासिक एकमुश्त राशि देय होगा। इसके अतिरिक्त कोई विशेष वेतन, महंगाई भत्ता, गृह भाड़ा भत्ता इत्यादि नही दिया जावेगा तथा संविदा नियुक्ति के अधीन वार्षिक वेतन वृद्धि की पात्रता नही होगी।
   8. **यात्रा भत्ता**- संविदा नियुक्त व्यक्ति को जिस पद पर नियुक्ति दी गयी है उस पद के समकक्ष शासकीय सेवकों के समान यात्रा भत्ते की पात्रता होगी।

9. **नियुक्ति का तरीका–**

(अ) प्राप्त आवेदन पत्रों का चयन समिति द्वारा सूक्ष्म जॉच कर जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in में मेरिट सूची प्रकाशित किया जाएगा। इसके लिए पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।

(ब) पात्र–अपात्र की सूची, मेरिट सूची एवं अन्य आवश्यक सूचनाओं का प्रकाशन तथा कौशल परीक्षा (कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा) के संबंध में जानकारी जिले के वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाएगा इसके लिए पृथक से कोई पत्राचार नहीं किया जायेगा।

(स) दावा आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित समयावधि में आनलाईन दावा किया जाना होगा, इसके पश्चात कोई दावा मान्य नहीं होगा। दावा आपत्ति के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in पर जारी किया जावेगा।

(द) तैयार मेरिट सूची से रिक्त पदों के विरूद्ध 20 गुणा अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्रों की जॉच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा हेतु बुलाया जावेगा।

(य) मूल प्रमाण पत्रों की जॉच एवं कम्प्यूटर प्रायोगिक परीक्षा के उपरांत चयन सूची जारी कर प्रावीण्यता अनुसार नियुक्ति आदेश संबंधित अधिकारी द्वारा जारी किया जावेगा।

10. **अन्य शर्तें–**

(अ) CGSWMA एवं जिला कार्यालय के द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशानुसार शर्तें मान्य होंगे।

(ब) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 से शासित होंगे।

(स) नियुक्ति के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा 01 माह की पूर्व सूचना या इसके एवज में 01 माह के वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।

(द) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सेवा समाप्ति पश्चात, संविदा नियुक्ति की हैसियत से जितनी अवधि तक सेवा दी गयी है, उस अवधि के लिये किसी भी प्रकार का पेंशन, उपादान, मृत्यु लाभ एवं वित्तीय सहायता की पात्रता नही होगी।

11. आवेदन पत्र के साथ प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किये गये छ.ग. का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक है।
12. अभ्यर्थी द्वारा जिले की वेबसाईट https://jashpur.nic.in में ऑनलाईन के माध्यम से दिनाँक 26.06.2023 तक फार्म भरा जाएगा। कार्यालय में सीधे अथवा डाक के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. ऑनलाईन आवेदन की त्रुटि सुधार हेतु आवदेन करने की अंतिम तिथि के पश्चात् 03 दिवस का समय दिया जावेगा, इस अवधि में नये आवेदन का पंजीयन नहीं हो सकेगा। सफलतापूर्वक भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट अपने पास अनिवार्य रूप से रखे।
14. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन की प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा।

अथवा

शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत कमचारी को नियोक्त द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अपलोड करना होगा।

15. अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियोक्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र अपलोड करना होगा अन्यथा अनुभव हेतु निर्धारित अंक प्रदाय किया जाना संभव नही होगा।
16. नियुक्ति हेतु सिफारिश कराने वाले या किसी भी प्रकार का दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा।
17. उपरोक्त वांछित योग्यता न रखने वाले उम्मीद्वार आवेदन न करें। ऐसे आवेदन पर विचार नही किया जावेगा।
18. अभ्यर्थी को आवेदन पत्र के निर्धारित स्थान में पासपोर्ट साईज फोटो, हस्ताक्षर व अन्य अनिवार्य दस्तावेज अपलोड करना होगा।

19. मेरिट सूची में समान अंक प्राप्त होने पर जन्मतिथि को आधार मानकर, अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता में प्राथमिकता दिया जावेगा। समान अंक एवं समान जन्मतिथि होने की स्थिति में, अभ्यर्थी के नाम के अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabet) के आधार पर मेरिट निर्धारित किया जायेगा।
20. यदि कोई व्यक्ति एक से अधिक पद अथवा दोनो परियोजनाओं के लिये आवेदन करना चाहता है तो प्रत्येक पद के लिये पृथक–पृथक ऑनलाईन आवेदन करना होगा।
21. विज्ञापित पदों की संख्या बढ़ाई या घटायी जा सकती है अथवा विज्ञप्ति निरस्त की जा सकती है। जिसके लिये किसी भी प्रकार का दावा/वाद मान्य नही किया जावेगा।
22. समस्त आवश्यक दस्तावेज आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (26.06.2023) तक का होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा उक्त संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के बाद की तिथि में जारी प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
23. आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज का मूल दस्तावेज से मिलान किया जाएगा। यदि कोई जानकारी अथवा दस्तावेज गलत/असत्य पाया जाता है, तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जावेगी। दस्तावेज में छेड़छाड़ अथवा जॉच में फर्जी पाये जाने पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।
24. नियुक्ति पश्चात् पुलिस विभाग से अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन कराया जायेगा। प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से तत्काल पृथक किया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी आवेदक की स्वयं की होगी।
25. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जिला जशपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।
26. आवेदन का प्रारूप, नियम व शर्तें जशपुर की वेबसाईट https://jashpur.nic.in में अवलोकन किया जा सकता है तथा आवेदन भरने के लिए जिले की वेबसाईट की मेनू नोटिस (Notice) के सबमेनू (Recruitment) में लिंक दिनाँक **26.06.2023** तक उपलब्ध रहेगी।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

उप संचालक कृषि
सह परियोजना प्रबंधक WCDC
जिला –जशपुर (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/ WDC-PMKSY 2.0 / कृषि/पदपूर्ति/2023–24/905 जशपुर, दिनांक 13/06/23

प्रतिलिपिः–

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी CGSWMA इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर कृषक नगर लाभाण्डी रायपुर (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर सह अध्यक्ष WCDC जिला जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी सह उपाध्यक्ष WCDC जिला पंचायत जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
4. सहायक संचालक, जिला जनसंपर्क अधिकारी जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्र में निःशुल्क प्रकाशन हेतु प्रेषित।
5. जिला सूचना अधिकारी NIC जिला जशपुर की ओर जिले के बेबसाईड में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
6. ई–डिस्ट्रीक्ट मैनेजर जिला जशपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु पालनार्थ।

उप संचालक कृषि
सह परियोजना प्रबंधक WCDC
जिला –जशपुर (छ.ग.)